



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-06102026-276837
CG-KA-E-06102026-276837

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5133]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2026/आश्विन 7, 1948

No. 5133]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026/ASVINA 7, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 29 सितम्बर, 2026

का.आ. 5340(अ).— चूँकि केंद्र सरकार (रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) द्वारा रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2, खंड 20A के अंतर्गत जारी अधिसूचना S.O. 2527 (E), दिनांक 14.05.2026, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को “बेंगलुरु-मैसूरु खंड में नायंडहल्लि और केंगेरी स्टेशनों के बीच रेलवे कि.मी. 10/900 से 11/000 पर समपार फाटक सं. 10 के स्थान पर रोड अंडर ब्रिज (RUB) के निर्माण” के उद्देश्य से अधिग्रहित करने का इरादा घोषित किया गया था।

और उक्त अधिसूचना का सार “Deccan Herald” दिनांक 04.06.2026 तथा “Samyukta Karnataka” दिनांक 04.06.2026 में रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20A के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था।

सक्षम प्राधिकारी को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20D के अंतर्गत आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिन पर विचार किया गया तथा उनका उचित रूप से निपटारा किया गया।

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20E के प्रावधानों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी को प्रस्तुत किया गया।

अतः, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात तथा रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20E द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी द्वारा घोषित किया जाता है कि अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को उपर्युक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया जाना चाहिए।

और आगे, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20E के अनुसार, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी द्वारा घोषित किया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी प्रकार के भार/दावों से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्र सरकार में निहित (vest) हो जाएगी।

अनुसूची

कि.मी. 10/900 से कि.मी. 11/000 के बीच कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु जिला में संरचना सहित या संरचना रहित अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है

राज्य : कर्नाटक			जिला : बेंगलूरु		
तालुक : बेंगलूरु दक्षिण			ग्राम : बलगेरेहल्लि		
क्रम संख्या	सर्वे/प्लॉट नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	भूमि मालिक/हितबद्ध व्यक्ति
1	69	सूखी	निजी	-	शारदम्मा
2	71/1	सूखी	निजी	0.0433	जी. विश्वनाथ
					जी. रंगन्ना
					जी. सतिश
3	72	सूखी	निजी	0.0141	जी. विश्वनाथ
				0.0113	अशोक वूडी देवकुमार
				0.0220	जी. सतिश
				0.0101	जी. आनंद
				0.0223	श्रीमती विशालाक्षी
4	78/2	सूखी	निजी	0.0024	बी डी ए
कुल				0.1256	

[फा. सं. डब्ल्यू.271/सीएन/बीएनसी/2026-27/भूमि एसआरपी/1727]

आशुतोष माथुर, मुख्य इंजीनियर-IV/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 29th September, 2026

S.O. 5340(E).— Whereas by the notification of the Central Government (Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) **S.O. 2527 (E)** dated **14.05.2026** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section – 3, Sub-section (ii) issued under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989 (24 of 1989) (herein referred to as the said act) the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment declare its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for “**Construction of Road Under Bridge in lieu of LC 10 at Railway K.M. 10/900 to 11/000 between Nayandahalli and Kengeri station on Bangalore Mysore section**” in the district of **Bangalore** In the state of Karnataka.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Deccan Herald**” dated **04.06.2026**, and in “**Samyukta Karnataka**” dated **04.06.2026**; under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989. And whereas the Competent Authority has received objections filed under section 2, clause 20D, considered and settled the same appropriately.

And whereas, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the competent authority has submitted its report to the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land from K.M. 10/900 to K.M. 11/000 In the district of Bangalore in the state of Karnataka.

State: Karnataka			District: Bengaluru		
Taluk: Bengaluru-South			Village : Valagerahalli		
Sl. No.	Survey / Plot No.	Type of land	Nature of land	Area (in Hectares)	Name of the Land Owner / Interested Person
1	69	Dry	Private	-	Sharadamma
2	71/1	Dry	Private	0.0433	G. Vishwanath
					G. Ranganna
					G. Satish
3	72	Dry	Private	0.0142	G. Vishwanath
				0.0113	Ashok Woody Devakumar
				0.0220	G. Satish

				0.0101	G. Anand
				0.0223	Smt. Vishalakshi
4	78/2	Dry	Private	0.0024	BDA
TOTAL				0.1256	

[F. No.W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

ASHUTOSH MATHUR, Chief Engineer-IV/Construction